

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0नि0-26/2003- विभागीय अधिसूचना संख्या-647 दिनांक-
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में लिया गया है, के क्रम में पूर्णियाँ जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन
किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. जिला समाहर्ता - अध्यक्ष
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य सचिव
- (क) जिला में संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि
 3. जिला के निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य - सदस्य
 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य - सदस्य
- (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि
 5. उप विकास आयुक्त - सदस्य
 6. जिला शल्य चिकित्सक - सदस्य
 7. जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य
 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य
 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम - सदस्य
 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् - सदस्य
 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन - सदस्य
- (ग) महिला प्रतिनिधि
 12. श्रीमती बिजली देवी, - सदस्य
पिता/पति - श्री छेदी दास,
ग्राम- बायसी बाजार,
प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं0- 9931274350
 13. श्रीमती सोनी वर्मा, - सदस्य
पिता/पति - श्री प्रमोद वर्मा,
ग्राम- बायसी बाजार,
प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं0- 9661870025
- (घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि
 14. श्री अशोक दास, - सदस्य
पिता/पति- श्री टुप्पा दास,
ग्राम- बायसी बाजार,
प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं0- 9931086146
 15. श्री श्याम झा - सदस्य
पिता/पति- श्री कैलाश झा,
ग्राम- बायसी बाजार,


- प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 8877254161
16. श्री मनोज साह — सदस्य
पिता/पति- श्री अशर्फी साह,
ग्राम- बायसी बाजार,
प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 9546692538
17. श्री शिव शंकर प्रसाद, — सदस्य
पिता/पति-स्व० रामलाल यादव,
ग्राम- मलहरिया,
प्रखण्ड-बायसी, जिला- पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 8051695983
- (ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री तपन कुमार यादव, — सदस्य
पिता/पति-श्री सुकदेव यादव,
ग्राम- ग्वालगाँव, प्रखंड-बायसी,
जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 9934445567
19. श्री सुमित शर्मा, — सदस्य
पिता/पति-श्री रूपलाल शर्मा,
ग्राम- बायसी बाजार,
प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 9939082990
20. श्री किशोर चौधरी, — सदस्य
पिता/पति- स्व० रामविलास चौधरी,
ग्राम- बायसी बाजार,
प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 9631218185
21. श्री उपेन्द्र चौधरी, — सदस्य
पिता/पति- स्व० जीवन चौधरी,
ग्राम- बायसी बाजार,
प्रखंड- बायसी, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 7782873979
- (च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री नैयर आलम, — सदस्य
पिता/पति-श्री मो० नजामुदीन,
ग्राम-ज्ञानडोभ,
प्रखण्ड- अमौर, जिला- पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 9199704934
23. श्री जावेद सरकार, — सदस्य
पिता/पति-श्री रहमतुल्लाह,
ग्राम- अमौर,
प्रखण्ड-अमौर, जिला-पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०- 9006509853

24. श्री मुकेश शर्मा, — सदस्य
पिता/पति— स्व० सिधेश्वर शर्मा,
ग्राम— बायसी बाजार,
प्रखंड— बायसी, जिला— पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०— *8651088647
25. श्री सागर सोनी, — सदस्य
पिता/पति— श्री रामनरेश ठाकुर,
ग्राम— बायसी बाजार,
प्रखंड— बायसी, जिला— पूर्णियाँ।
मोबाईल नं०— 8873719964

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 वर्षों का होगा।
 2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
 3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
 4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
 5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
 6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित— 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
 7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
 8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष— 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।
- (3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित करायी जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रकाश कुमार)
संयुक्त सचिव—सह निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003

7060 दिनांक :- 03/09/15

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद/माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. समाहर्ता, पूर्णियाँ से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003

7060 दिनांक :- 03/09/15

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003

7060 दिनांक :- 03/09/15

प्रतिलिपि :- अधिक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।